

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

प्रलिस के लयः

उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलयम, 1991

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलयम, 1991, संबधतः प्रावधान

चर्चा में क्यों?

सॉलसलटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कः उपासना स्थल अधनलयम, 1991 की वैधता अयोध्या मामले में उसकी पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ की राय द्वारा "कवर नहीं की जा सकती है"।

उपासना स्थल अधनलयमः

- **वषयः** यह कसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को परतबिधतः करने और उसके धार्मकः स्वरुप के रखरखाव और उससे संबधतः या उसके आनुषंगकः मामलों के लयः के एक अधनलयम के रूपांतरण कःया गया है जैसा कःयह 15 अगस्त, 1947 को था।
- **छूटः**
 - अयोध्या में ववःदतः स्थल को इस अधनलयम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।
 - अयोध्या ववःद के अलावा इस अधनलयम में इन्हें भी छूट दी गई हैः
 - कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतःहासकः स्मारक है, या एक पुरातात्वकः स्थल है जो **प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधनलयम, 1958** द्वारा संरक्षतः है।
 - एक ऐसा ववःद जो अंततः नपःटा दःया गया हो।
 - कोई भी ववःद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या कसी स्थान का स्थानांतरण जो अधनलयम के शुरू होने से पहले सहमतः से हुआ हो।
- **दंडः**
 - अधनलयम की धारा 6 अधनलयम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुरमाने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है।
- **आलोचनाः**
 - इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कःयह न्यायकः समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कः संवधान की एक बुनयादी वशषता है, साथ ही यह एक "मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तथः" आरोपतः करता है जो हदः, जैन, बौद्ध एवं सखिों के धार्मकः अधिकारों को सीमतः करता है।
 - **धर्मनरःपेक्षता के सदिधांत का उल्लंघनः** यह न्यायकः समीक्षा के उपचार की शक्तः को सीमतः करता है जो संवधान की एक बुनयादी वशषता है और इसलयः संसद की वधायी क्षमता से बाहर है।
 - इसका परणाम यह होगा कः हदः उपासक दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करके या भारत के संवधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर अपनी शकःयत दर्ज़ नहीं करा सकेंगे। यदः अतःवादी 15 अगस्त, 1947 से पहले इस तरह की संपत्तः पर अतःक्रमण कर चुके हैं, तो हदः उपासक हदः बंदोबस्ती, मंदरः, मठों और अन्य संपत्तःयों के धार्मकः स्वरुप को वापस पाने में भी असमर्थ होंगे, और इस तरह की अवैध संपत्तः की अवस्थतः यथावत बनी रहेगी।
 - अधनलयम ने उस भूमः को अपने दायरे से बाहर रखा था जो अयोध्या ववःद का वषय था।

प्रावधानः

- **धारा 3ः** इस अधनलयम की धारा 3 उपासना स्थलों के परवःरतन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी वयक्तः कसी भी धार्मकः

संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।

- धारा 4(1): यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत् बनी रहेगी।
- धारा 4(2): इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
 - इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तथिपर लंबित हैं, यदि वे कट-ऑफ तथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति के रूपांतरण से संबंधित हैं।
- धारा 5: यह निर्धारित करती है कि अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

अयोध्या फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की राय:

- वर्ष 2019 के अयोध्या निर्णय में संविधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतगिमान पर रोक लगाता है।
- इसलिये कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिये बनाया गया एक वधायी साधन है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।

आगे की राह

- अधिनियम से जुड़ी कमियों के बावजूद हम पूजा स्थल अधिनियम के महत्त्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह एक महत्त्वपूर्ण वधायी हस्तक्षेप है जो गैर-प्रतगिमान को हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनविर्य विशेषता के रूप में संरक्षित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

??????:

प्रश्न नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को परभाषित करता है।
2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिये 'न्यायिक समीक्षा' का प्रावधान करता है, जनि पर संविधान आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये क्या चुनौतियाँ हैं? (2019)

प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? वचिार-वमिर्श कीजयि। (2018)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

